"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 315] रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 जुलाई 2020 — आषाढ़ 15, शक 1942

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 जून 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–64/2009/29–1(2).— छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम, 2016 का निम्नलिखित संशोधन प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 40 की उप–धारा (1) एवं उप–धारा (2) के खण्ड (क) सहपठित छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) की धारा 30 की उप–धारा (1) एवं उप–धारा (2) के खण्ड (ख) तथा (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 40 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा:

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, सी–ब्लॉक, ब्लॉक–2 तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,–

नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"7. प्रचलित राशन कार्डों का बना रहना.–इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व जारी तथा प्रचलित समस्त वैध राशनकार्ड तब तक प्रभावी रहेंगे, जब तक कि इन नियमों के अधीन उन्हें निरस्त नहीं कर दिया जाता:

परन्तु यह कि राशन कार्ड के सत्यापन के दौरान अथवा परिवार के मुखिया की मृत्यु की दशा में, मुखिया के नाम में परिवर्तन हेतु परिवार द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर, राशन कार्ड में परिवार के मुखिया के नाम में परिवर्तन, परिवार के मुखिया का नाम हटाकर, परिवार के अन्य वयस्क महिला सदस्य के नाम को प्रविष्ट करते हुए किया जायेगा:

परन्तु यह और कि परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं होने की स्थिति में, परिवार के मुखिया के नाम में परिवर्तन, परिवार के मुखिया का नाम हटाकर, पुरूष मुखिया का नाम प्रविष्ट करते हुए किया जायेगा। इस प्रकार के पुरूष मुखिया परिवार में, किसी महिला सदस्य के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, वह परिवार की मुखिया होगी तथा राशन कार्ड में पुरूष मुखिया के नाम के स्थान पर उसका नाम (महिला का नाम) प्रतिस्थापित किया जायेगा। यह प्रक्रिया, मुखिया के मृत्यु प्रमाणपत्र के आधार पर, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के राशन कार्ड डेटाबेस के माध्यम से स्वमेव हो सकेगा।''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 30th June 2020

NOTIFICATION

No. F 10-64/2009/29-1(2).— The following draft amendment of the Chhattisgarh Ration Card Rules, 2016, which the State Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of Section 40 of the National Food Security Act, 2013 (No. 20 of 2013) read with sub-section (1) and clause (b) and (c) of sub-section (2) of Section 30 of the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012 (No.5 of 2013), proposes to make, is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 40 of the said Act, for the information of all persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period, during office hours in the office of the Director, Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, C-Block, Block-2 Third Floor, Indrawati Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

For rule 7, the following shall be substituted, namely:-

"7. Continuance of the existing ration cards.- All valid ration cards issued before the commencement of these rules and in existence shall remain in force till they are cancelled under this rules:

Provided that, during verification of ration card, or on submission of application by the family for change in the name of family head, in case of death of head of the family, change in the name of family head in ration card, shall be done by entering the name of other adult female member of the family by replacing the name of family head:

Provided further that, in case there is no adult female member in the family, change in name of family head shall be made by entering the name of male head by replacing the name of family head. In this type of male headed family, any female member on attaining the age of 18 years, shall be the family head and name of male head shall be substituted by her name in ration card. This process, on the basis of death certificate of the head, may be automated through ration card database of Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department, Government of Chhattisgarh."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.